प्रेस विज्ञप्ति
2-04-2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भोपाल आंचलिक कार्यालय ने अरविंद जोशी और अन्य के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय, भोपाल के समक्ष 31.03.2026 को दूसरी पूरक अभियोजन शिकायत (एसपीसी) दायर की है।

विशेष पुलिस प्रतिष्ठान, लोकायुक्त, भोपाल द्वारा स्वर्गीय श्री अरविंद जोशी और श्री अरविंद जोशी की पत्नी श्रीमती टीनू जोशी (दोनों मध्य प्रदेश कैडर के पूर्व आईएएस अधिकारी) के खिलाफ 41.87 करोड़ रुपये की चल/अचल संपत्ति रखने के आरोप में दर्ज मामले के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की, जो उनकी ज्ञात आय के स्रोतों के अनुपात से अधिक थी। अरविंद जोशी और श्रीमती टीनू जोशी द्वारा अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करने और भ्रष्टाचार में लिप्त होने के व्यापक आरोप, शिकायतें और सबूत मौजूद थे।

ईडी की जांच में पता चला कि अरविंद जोशी और टीनू जोशी ने अपने नाम के साथ-साथ अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर भी काफी चल और अचल संपत्ति जमा कर रखी थी। आगे की जांच से पता चला कि श्री जोशी ने कुछ असंबंधित व्यक्तियों के नाम पर भी संपत्तियां हासिल कीं और जानबूझकर संपत्ति के स्वामित्व का पता छिपाने के लिए तीसरे पक्ष के हित बनाए। अपराध की आय को इस तरह से छिपाने का यह तरीका पीएमएलए जांच के दौरान जुटाए गए सबूतों से साबित होता है। इससे पहले, इस निदेशालय ने श्री अरविंद जोशी और उनके परिवार के सदस्यों की अवैध रूप से अर्जित लगभग 8.60 करोड़ रुपये की संपत्तियों को जब्त करने के लिए तीन अस्थायी कुर्की आदेश जारी किए थे।

इसके बाद, 28.01.2026 को एक और अंतरिम कुर्की आदेश जारी किया गया, जिसमें स्वर्गीय अरविंद जोशी और उनके परिवार के सदस्यों की लगभग 5 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की गईं, जो अपराध की आय से अर्जित की गई थीं। इसके अलावा, इस संबंध में 31.03.2026 को पूरक अभियोजन शिकायत दायर की गई है, जिसमें उपर्युक्त कुर्क की गई संपत्तियों की ज़ब्ती की प्रार्थना की गई है।